

गया बाबूलाल का पुत्र वादी हूँ तथा प्रतिवादी आजाद कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीपंत के जाइन्दा पुत्र है।


यह है कि बाबूलाल व लक्ष्मीपंत दोनो सगे भाई थे वादी व प्रतिवादी दोनो आपस में चचेरे भाई है, लेकिन पंजीयन करवाते समय दोनों की एक ही वल्दीयत अर्जिनिवेश की त्रुटि से दर्ज की गई, जिसका वादी छोटा होने से ज्ञान नहीं रहा।

वादी के वल्दीयत सही नहीं होने से वादी को रिको क्षेत्र द्वारा आवाप्त की गई भूमि का पट्टा विलेख आदि कार्य करने में परेशानी हो रही है। वादी की सही वल्दीयत के पिताजी का नाम बाबूलाल ही है। लक्ष्मीपंत के अमित नाम का कोई जाइन्दा पुत्र नहीं है केवल मात्र बैचान दस्तावेज पंजीयन करवाते समय ही लिपिकिय त्रुटि से वादी की गलत वल्दीयत दर्ज हुई है, वादी व प्रतिवादी के नाम से सयुक्त भूमि में वादी की वल्दीयत गलत दर्ज होने से सरकारी बैंक में इस भूमि के बारे में खाते खोलने में व रिको कार्यालय में गलत वल्दीयत नाम दर्ज होने के कारण वादी का हित प्रभावित हो रहा है। वादी का वाद केवल मात्र वल्दीयत दुरस्ती का है।

अंत में निवेदन किया गया कि वाद ग्रस्त भूमि वादी के नाम भूमि क्रय करते समय पिता का नाम भूलवंश सहवन से बाबूलाल की जगह पर लक्ष्मीपंत दर्ज हुआ है, जो जानबुझकर दर्ज नहीं करवाया गया है। कृपया वादी का वाद को स्वीकार कर वादी ग्रस्त आराजी में वादी की वल्दीयत लक्ष्मीपंत के स्थान पर उपरोक्त साक्ष्यो सबूतो के आधार पर बाबूलाल संचेती नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

वादी के वाद को दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वाद ग्रस्त भूमि वादी के नाम भूमि क्रय करते समय पिता का नाम भूलवंश सहवन से बाबूलाल की जगह पर लक्ष्मीपंत दर्ज हुआ है, जो जानबुझकर दर्ज नहीं करवाया गया है। कृपया वादी का वाद को स्वीकार कर वादी ग्रस्त आराजी में वादी की वल्दीयत लक्ष्मीपंत के स्थान पर उपरोक्त साक्ष्यो सबूतो के आधार पर बाबूलाल संचेती नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया, इसमें उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।



(Handwritten signature)

(नरेश सोनी)

पीताजी अर्जिनिवेश आजाद कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीपंत के निवेदन सहयोगी कलक्टर

दंड्य ग्राम पंचायत


(Handwritten signature)


वादी के द्वारा साक्षी वादी में शपथ-पत्र पीडब्लू.1 गवाह अमित संचेती, पीडब्लू.2 गवाह आजाद कुमार, पीडब्लू.3 गवाह लक्ष्मीपंत, पीडब्लू.4 गवाह गजेन्द्र कुमार, पीडब्लू.4 गवाह सुरेश कुमार के द्वारा भी वाद-पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की गई।

वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना गया, प्रतिवादी संख्या 2 परोकार सरकार एवं वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीकों लि० बालोतरा को राजस्व रिकार्ड अनुसार दुरुस्ती की जाति है, तो कोई ऐतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि मौजा बालोतरा के खेत 79 रकबा 10 बीघा 12 विस्वा में से 10 विस्वा व खसरा नं. 80 में रकबा 6-06 मे से 01.10 बीघा भूमि में उक्त खातेदारी भूमि के अलावा वादी के राशन कार्ड संख्या राशन कार्ड संख्या 200000423880, आयकर पैन कार्ड नं. AYKPS5970M, में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या SSB/0969881, वर्ष 2003 में उच्च माध्यमिक परीक्षा अंक तालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या 6984 दिनांक 02.07.2014, आधार कार्ड संख्या 3107 5286 8396 सभी दस्तावेजात में अमित पुत्र श्री बाबूलालजी संचेती नाम ही दर्ज है उपरोक्त दस्तावेजात एवं प्रस्तुत साक्षी वादी गवाहन पीडब्लू 1. ता 5 के बयानों एवं सभापति नगर परिषद, बालोतरा के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी का सही नाम अमित पुत्र श्री बाबूलालजी संचेती ही दर्ज है, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीकों लि० बालोतरा को राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई दुरुस्ती करने में कोई ऐतराज नहीं है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर मौजा बालोतरा के खेत खसरा नं. 79 रकबा 10 बीघा 12 विस्वा में 10/212 हिस्सा व खसरा नं. 80 में रकबा 06.06 बीघा 30/126 हिस्सा भूमि रिको लि० औद्योगिक क्षेत्र चतुर्थ चरण बालोतरा अवाप्ति अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी अमित संचेती की वल्दीयत लक्ष्मीपंत के स्थान पर उपरोक्त साक्ष्यो सबूतो के आधार पर बाबूलाल संचेती घोषित घोषित की जाती है। तदानुसार वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धन रीकों, बालोतरा चतुर्थ चरण में भूखण्ड संख्या जी-479 में वादी की वल्दीयत परिवर्तन की जावे। वादी की वल्दीयत के संबंध में अगर भविष्य में कोई विवाद तनाजा उत्पन्न होगा, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी वादी स्वयं की होगी। निर्णय आज दिनांक 09.10.2021 को कोर्ट केम्प रामसीन में मजमें आम में सुनाया गया।




(रिज. नं. 10/212)
रामसीन अधिकारी उच्च न्यायालय अधिकारी बदन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अधिसूचना 2021
केम्प राम सहायक 21/10/21 एस